

CHEKLIST FOR APPLICATION OF GENERAL TRADING LICENSE (GTL)

No	Requirements	Y/N	Remarks
1	Application for GTL in Company letterhead.		
2	Duly filled Form "C".		
3	Previous GTL Certificate. (If applicable)		
4	Certificate of Class		
5	Cargo Ship Safety Construction Certificate		
6	Provisional Certificate of Registry. <input type="checkbox"/> Certificate of Registry. <input type="checkbox"/>		
7	Survey Status Report		
8	Capacity of Plan / ITC		
9	Document of Compliance (DOC)		
10	Bharat-Kosh Payment Receipt, Rs. 20,000/- (Costal), <input type="checkbox"/> Rs. 40,000/- (Worldwide), <input type="checkbox"/> Rs. 40,000/- (Costal & Worldwide). <input type="checkbox"/>		Ref. No. & Date
11	Amendment in GTL (Other than Change of Ownership) Rs. 10,000/- <input type="checkbox"/>		

(Tick' if complied. 'X' if not. Clarify if NA (not applicable)

Please note that the documents are required to be submitted in hard copy as well as by soft copy in single pdf file on email id regn.mum-mmd@gov.in and mumbai-mmd.@gov.



सत्यमेव जयते

भारत सरकार द्वारा जारी

Issue by the Govt. of India

भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
THE MINISTRY OF SHIPPING
पोत परिवहन विभाग
(Dept. of Transport)

प्रपत्र - सी
FORM - C.

सामान्य या निर्दिष्ट अवधि के लाइसेंस के आवेदन-पत्र
वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 की धारा 406 के अधीन
APPLICATION FOR GENERAL OR SPECIFIED PERIOD LICENCE
UNDER SECTION 406 OF THE MERCHANT SHIPPING ACT, 1958

आवेदक का नाम :
Name of Applicant :
आवेदक का पता :
Address of Applicant :

सेवा में/To,
नौवहन महानिदेशक, मुंबई-400 042
THE DIRECTOR GENERAL OF SHIPPING,
BOMBAY.

एतद्वारा पोत को, जिसका विवरण पिछले पृष्ठ पर दिया गया है, उक्त विवरण के खाने 9 में उल्लिखित व्यापार (व्यापारों में चलाने हेतु (I) सामान्य (II) निर्दिष्ट कालाविधि लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र दिया गया है। यह ज्ञात हुआ है कि लाइसेंस किसी वर्तमान या भविष्य नौचालन आदेश पर (बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, दिया जाएगा और पोत को किसी अन्य कानूनी अपेक्षाओं से अथवा पोत या उसका बयौरा, यात्री, सामग्री, बंकर, उपस्कर आदि के प्रभावित करने वाले आदेशों की पूर्तता से छूट नहीं मिलेगी। यह भी ज्ञान हुआ है कि पोत, जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है, के मालिक या आवधिक किराए पर होने वाला (वाले), अनुरोध पर नौवहन महानिदेशक की, उससे वांछित ऐसे विवरण जो भाड़े पर, पोत पर लिये गए बयौरों का प्रकार यात्रा, बढ़े हुए यात्रियों की संख्या, वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 की धारा 413 में निर्दिष्ट सभी सामग्री और इस लाइसेंस के अधीन हर की गयी प्रस्तोचित समुद्री यात्रा के लिए वहन की शर्तों से संबंधित हो भेज दें।

Application is hereby made for a general specified period licence for the ship of which particulars are given on the reverse, to ply in the trade (s) mentioned in column 9 of the said particulars. It is understood that the grant of a licence will be made without prejudice to any Navigation Order made or to be made and will not exempt the ship from compliance with any other lawful requirements or directions affecting the ship or her cargo, passengers, stores, bunkers, equipment, ect. It is further understood that the owner(s) or time charterer(s) of the ship for which a licence is granted will on request forward to the Director General of Shipping such particulars as he may require with respect to the rate of freight, the nature and quantity of cargo carried, the number of passengers embarked, all other matters referred to in sec. 413 of the Merchant Shipping Act, 1958 and conditions of carriage for each voyage made or proposed to be made by the ship under the licence.

लाइसेंस..... से..... महीनों की अवधि / रजिस्ट्री प्रमाण - पत्र की समाप्ति के साथ समाप्त के लिए अपेक्षित है।

The licence is required for a period of months from/ Co-terminus with the Certificate of Registry

मैं/हम यह परिचय देता हूँ/ देते हैं कि मैं/ हम सभी लागू प्रमाण-पत्र और बीमा कवर को स्थान में और सदा वैध रखूंगा/ रखेंगे और यह इस परिणाम की जानकारी के साथ होगा कि इसमें चूक होने की स्थिति में लाइसेंस स्वतः निलंबन हो जाएगा।

I/we do hereby undertake to keep all applicable certificates and insurance cover in place and valid at all times with full knowledge of the consequences of default, which will be an automatic suspension of the license.

आवेदक के हस्ताक्षर :.....
Signature of Applicant

पोत प्रबंधक या उसकी ओर से विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति के ही हस्ताक्षर होने चाहिए।
The Signature must be that of the person having the management of the ship or a person duly authorised in that behalf by him.

तारीख:.....
Dated

*केवल तभी भरा जाए जब निर्दिष्ट आवती-लाइसेंस के लिए अन्यथा यह वाक्य काट दिया जाए।

* To be filled in only when a licence for a specified period is applied for; otherwise this sentence to be scored

पोत का विवरण
PARTICULARS OF SHIP

पोत का नाम और आधिकारिक संख्या Name of Vessel	नाम और पता - (अ) मासिक (ब) आवधिक किराये पर लेने वाले (यदि कोई हो) किराये पर लेने की	Official Number	रजिस्ट्री पत्तन Port of Registry	कुल टनभार Gross	कुल गांठ की घन क्षमता Total bale cubic capacity	(अ) फलकों की संख्या और प्रत्येक की कुलभार भारिता (ब) बंकरों सहित कुलभार भारिता (a) Number of holds and	भारित ड्राफ्ट Loaded draft	(अ) व्यापार (ब) विशेष व्यापार (यदि कोई हो) जिसमें पोत पूर्णतः पर अंशतः लगाया गया है (क) निर्दिष्ट अवधि
---	--	-----------------	-------------------------------------	--------------------	--	--	-------------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	अवधि से उल्लिखित (a) Owners (b) Time charterers (if any) stating duration of charter					deadweight capacity of each (b) Total deadweight capacity including bunkers		(a) Trade (b) Special trade (if any) in which ship will be wholly or partly engaged and (c) Specified period.
	(अ) (a) (ब) (b)					(अ) (a) (ब) (b)		(अ) (a) (ब) (b) (क).... महीनों की अवधि के लिए (c) For a period of.....month

यह प्रपत्र पूरा भर के दो प्रतियों में प्रस्तुत करना चाहिए (निम्नलिखित/ टिप्पणी देखिए)

THIS FORM IS TO BE COMPLETED AND LODGED IN DUPLICATE (see Note below)

टिप्पणी/ NOTE

यदि आवेदन पत्र को लाइसेंस मिले तो उसे पोत पर रखने के लिए मास्टर के पास भेज दिया जाए।

If the application is granted the licence should be forwarded to the Master for retention on board the ship.

प्रपत्र डी

(यह जगह केवल कार्यालय उपयोग के लिए आरक्षित है)

FORM D.

(Space reserved for Official use only.)

लाइसेंस संख्या

LICENCE NUMBER

(वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 की धारा 466)

LICENCE (Section 406 of the Merchant Shipping Act, 1958.)

यह लाइसेंस निम्नलिखित सीमाओं और शर्तों के अधीन उपर्युक्त आवेदन में दिए गए विवरण के अनुसार और इस समझौते पर दिया जाता है कि सभी संबंधित विनियमों, नियमों और आदेशों का पालन किया गया है, किये जा रहा है या किया जाएगा।

This Licence is granted in accordance with the particulars set out in the above application, subject to the limitations and conditions stated below and on the understanding that all relevant Regulations, Rules and Orders have been, are being, or will be complied with.

लाइसेंस भारतीय पत्तन से प्रत्येक यात्रा के लिए निकासी आवेदन-पत्र देते समय सीमा शुल्क समाहर्ता को प्रस्तुत करना होगा और.....तक/ रजिस्ट्री प्रमाण - पत्र की समाप्ति के साथ समाप्त अथवा इससे पूर्व जहां तक नौवहन महानिदेशक द्वारा प्रतिसहित या रूपान्तरित किया गया हो वैध रहेगा। वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 की धारा 408 देखिए।

This Licence is to be produced to the Collector of Customs in making application for clearance for each voyage from an Indian ports, and reunions valid upto / Co-terminus with the Certificate of Registry .or until revoked or modified earlier by the Director General of Shipping, vide section 408 of the Merchant Shipping Act, 1958.

मुंबई

Mumbai,

तारीख

dated

नौवहन महानिदेशक/भारतीय पोत रजिस्ट्रार

DIRECTOR GENERAL OF SHIPPING./ REGISTRAR OF INDIAN SHIPS